

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (II) प्रशि.नि.व²- 16/ 2011-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,पटना

विषय- विभागान्तर्गत 16 (सोलह) संचालित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की लागत से Language Lab. सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि कुल रू. 52,00,000=00 (बावन लाख रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-795, दिनांक 16.03.2016 द्वारा विभागान्तर्गत 20 (बीस) संचालित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों यथा नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्र/राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना/दरभंगा/सहरसा/पूर्णिया/बरौनी/गया/छपरा/भागलपुर/गोपालगंज/कटिहार/वैशाली/ मधुबनी/ मोतिहारी/डिहरी-ऑन-सोन/लखीसराय/शिवहर/अस्थावां/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर एवं बदीउज्जमाँ खान इंस्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी के कम्प्यूटर प्रयोगशाला में अधिष्ठापित 30 कम्प्यूटर सिस्टम में प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की लागत से Language Lab. सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 65,00,000=00 (पैंसठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्र, राजकीय पोलिटेकनिक कटिहार/मधुबनी एवं मोतिहारी को छोड़कर शेष 16 (सोलह) संस्थानों द्वारा प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 मात्र अर्थात् कुल रू. 52,00,000=00 (बावन लाख रुपये) मात्र की राशि प्रत्यर्पित कर दी गई।

2. राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत 16 (सोलह) संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना/दरभंगा/सहरसा/पूर्णिया/बरौनी/गया/छपरा/भागलपुर/गोपालगंज/वैशाली/डिहरी-ऑन-सोन/लखीसराय/शिवहर/अस्थावां/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर एवं बदीउज्जमाँ खान इंस्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी द्वारा प्रति संस्थान प्रत्यर्पित राशि रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये) अर्थात् कुल रू. 52,00,000=00 (बावन लाख रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43,उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- पी 4202021040102 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

5. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गुलजारबाग/दरभंगा/सहरसा/पूर्णिया/बरौनी/ गया/ छपरा/भागलपुर/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/हाजीपुर/शिवहर/लखीसराय/सासाराम/सीतामढ़ी/बिहारशरीफ से की जायेगी।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. संबंधित संस्थानों के प्राचार्य, सॉफ्टवेयर के अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) प्रशि.नि.व²- 16 / 2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) प्रशि.नि.व²- 16 / 2011-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गुलजारबाग/दरभंगा/सहरसा/ पूर्णिया/ बरौनी/ गया/ छपरा/ भागलपुर/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ हाजीपुर/ शिवहर / लखीसराय/ सासाराम/ बिहारशरीफ/ सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) प्रशि.नि.व²- 16 / 2011-

515 /पटना, दिनांक- 28/02/17

प्रतिलिपि:- संबंधित प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

28/02/17
सरकार के उप सचिव